डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2002—चैत्र 8, शक 1924

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 8-2-2002

प्रकरण क्रमांक 06 ब-113 (1) 2000-2001

क्रमांक क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2002.—चूंकि मो. मोहसिन खान पिता स्व. मो. यूनुस खान निवासी मकान नं. 38/929 बैरनबाजार रायपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से (सिराजुन्निसा यूनुस खान मेमोरियल ट्रस्ट विवेकानंद नगर रायपुर के नाम से) आवेदक ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 14-3-2002 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम एवं पता : सिराजुन्निसा यूनुस खान मेमोरियल ट्रस्ट-पता द्वारा डा. नीतिन कुमार धावलिया 75 विवेकानंद नगर, रायपुर छ. ग.

2. ट्रस्ट की अचल संपत्ति : निरंक

3. ट्रस्ट की चल संपत्ति : (1) भारतीय स्टेट बैंक कचहरी शाखा रायपुर में खाता क्रमांक 01100050807 में रुपये 23566.65 पैसे नगद राशि जमा.
(2) भारतीय स्टेट बैंक कचहरी शाखा रायपुर में सावधि जमा रसीद क्रमांक 650,283 दिनांक 27-1-2001 से 27-1-2004 तक जमा राशि रु. तीन लाख मात्र.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बालोद, जिला दुर्ग

प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम 5 (1)]

[न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बालोद जिला दुर्ग (छ. ग.) पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां) की धारा-5 (1)
और छत्तीसगढ़ राज्य लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

रायपुर, दिनांक 19-12-2001

क्रमांक 672/प्र.-1/अ.वि.अ./2001.—चूंकि श्री सीताराम साहू आ. कल्याणसिंह साहू निवासी ग्राम नारागांव तहसील गुरूर जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना लोक न्यास है, गठन करती है.

अत: मैं, एस. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास तहसील गुरूर जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2002 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई जानकारी का कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहे तो मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम पता : श्री सियादेवी मंदिर ट्रस्ट, नारागांव तहसील गुरूर जिला दुर्ग (छ. ग.)

(2) लोक न्यास के संपत्ति का विवरण :

अचल संपत्ति : निरंक

चल संपत्ति : निरंक

आज दिनांक 19 दिसंबर, 2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया.

एस. पी. दीक्षित,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.